"निविदा सूचना"

जिला पंचायत, मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है शासन से प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष निर्माण कार्यों के टैण्डर दिनांक- 3.2.10 को समय प्रातः 10बजे से 2बजे अपरान्ह तक आमन्त्रित किये जाते है।जो उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष अपरान्ह तीन बजे टैण्डर समिति द्वारा खोले जायेंगे।टैण्डर फार्म निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत, मेरठ के अभियन्त्रण विभाग से दिनांक- 3.2.10 को ही समय 10बजे से दोपहर 1बजे तक क्रय किये जा सकते है।टैण्डर दाताओं को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1985 में दिये गये प्राविधानों व समय-2 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।शासनादेश सं0-2057/ I /23-7-2009-25सी/09 दिनांक- 30 जून2009 के अनुसार रूपये 5.00 लाख तक लागत वाले निर्माण कार्यों में 21%अनुसूचित जाति व 2% अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिये आरक्षित है।निर्माण कार्यों का पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में एवं जनपद की वेबसाईट- http://meerut.nic.in से डाउनलोड कर देखा व क्रय किया जा सकता है। कार्यों का विवरण इस प्रकार है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत,	धरोहर राशि,	टैण्डर मूल्य	वाणिज्य कर,	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्राम बहादुरपुर में सम्पर्क मार्ग अवशेष सी.सी. रोड निर्माण कार्य-	800000.00	16000/	300/	30/	2माह
2.	ग्राम चन्दसारा में अवशेष सी.सी. निर्माण कार्य-	800000.00	16000/	300/	30/	" "

शर्तें:- 1. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
2. कोई भी टैण्डर व निविदा बिना कारण बताये निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ में निहित है।
3. टैण्डर स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण करने हेतु आदेश लेने की ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और अनुबन्ध तीन दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा।
4. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1985 के समस्त नियम मान्य होंगे।
5. टैण्डर स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को 10%अस्थाई जमानत की एन.एस.सी./के.वी.पी/एफ.डी आर के रूप में प्रत्येक कार्य की अलग-2 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ के पदनाम से बन्धक कराकर देनी अनिवार्य होगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

"कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ"

पत्रांक- 46121/जि0पं/निर्माण/2009-10 दिनांक- 12-1-2010

प्रतिलिपि:- 1. मा0 आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल, मेरठ, जिला जज, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ समस्त उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी जनपद मेरठ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
2. मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत, मेरठ को सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त निविदा सूचना को जिला पंचायत, मेरठ की वेबसाईट- http://meerut.nic.in पर अंकित कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता ग्रा.अभि.से., लो.नि.वि.प्र.खं., पी.एम.जी.एस.वाई मेरठ को इस आशय के साथ कि उपरोक्त वर्णित कार्यों को अपने विभाग की कार्य योजना में मिलान कर आवश्यक कार्यवाही करें।
5. वित्तीय परामर्श दाता जिला पंचायत, मेरठ उक्त दिनांक को भाग लेने हेतु।
6. जिला पंचायत, मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ हेतु।

Dio. NIC
कं. आवश्यक कार्यवाही
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ
02/2/10

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ